

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

संख्या - डी0 एल0 ए0 नालंदा - 2305/रा० पटना, दिनांक-17-09-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-नोनही परगना-राजगीर, थाना नं०-473 थाना-राजगीर, जिला-नालंदा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् राजगीर-बाईपास पथ निर्माण के लिए सरकारों द्वारा खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-नोनही थाना नं०-478 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से क्रमशः 6.1275 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:- खेसरा सं०- 685, 686, 759, 762, 766, 769, 770, 771, 772, 773, 776, 777, 779, 780, 783, 784, 821, 822, 827, 828, 835, 836, 837, 838, 839, 1023, 1024 एवं 1026 सभी अंश तथा खेसरा सं०- 758, 763, 764, 765, 774 एवं 778 सभी पूर्ण।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर :- खेसरा सं०- 837, 836, 828, 827, 822, 821, 685, 686, 777, 776, 773, 772, 759, 757, 1026, 753, 752, 750, 1023 एवं 1024 सभी अंश।

पूरब :- सीमाना- मौजा-नाहुव थाना नं०-476

दक्षिण :- खेसरा सं०- 839, 838, 835, 828, 827, 822, 820, 686, 779, 780, 783, 784, 771, 770, 739, 768, 751 एवं 1024 सभी अंश।

पश्चिम :- सीमाना मौजा-पथरौरा थाना नं०-480

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों को खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, तो विधे लाये जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1864 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा-3 के खण्ड (1) के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, नालंदा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी,
नालंदा

अपर समाहर्ता,
नालंदा

समाहर्ता,
नालंदा

सरकार के सचिव

दिनांक 23.09.13/डी0 एल0 ए0-नालंदा, दिनांक 17-09-13

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालंदा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2 प्रतिलिपि :- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालंदा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालंदा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3 प्रतिलिपि :-अपर समाहर्ता/समाहर्ता, नालंदा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

सरकार के सचिव